न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री अंश दीप, आई.ए.एस.

राजस्व विविध : 14/2020

जी.सी.एम.एस. : 2020/00201

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली		सुरेश पुत्र जोराराम जाति गाडोलिया लोहार निवासी बसन्त तहसील सुमेरपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से सुरेन्द्र सिंह लवाना

–: निर्णय :–

दिनांक:– 06.01.2022

तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के उसके हक में दिनांक 13.02.2013 को ग्राम बाबागांव खसरा नंबर क्रमशः 427 रकबा 1.43 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमी का आवंटन किया गया जिसे निरस्त कराने हेतु पेश किया है। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं मूल आवंटन रेकर्ड मंगवाया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वक्त बहस सरकारी पैरोकार ने कथन किया कि अप्रार्थी सुरेश पुत्र जोराराम जाति गाडोलिया लोहार निवासी बसन्त तहसील सुमेरपुर को उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा दिनांक 13.02.2013 को ग्राम बाबागांव के खसरा नंबर 427 रकबा 1.43 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमी का आवंटन किया गया तथा अप्रार्थी को जरिये नामान्तरकरण संख्या 725 के गैर खातेदार दर्ज किया गया। आवंटी अथवा उसके वारिसान का आवंटित भूमी पर आदिनांक तक कब्जा काश्त नहीं है उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमी वर्ष 2013 में आवंटन हुई थी। आवंटन के पश्चात अप्रार्थी मजदूरी हेतु बाहर चला गया था। वर्तमान में अप्रार्थी गांव बसंत में ही निवासरत है और उक्त भूमी पर स्वयं ने ही कुछ दिनों पूर्व कब्जा कर लिया है। एवं इसी भूमी से संबंधित वाद सं. 30/2014 राजस्व अपील अधिकारी पाली में विचाराधीन है। एवं न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.2021 को प्रार्थी के पक्ष में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया है। जो माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा खारिज किया जा चूका है। राजस्व अपील अधिकारी महोदय पाली के प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर अथवा जिला कलक्टर पक्षकार नहीं होने से स्थगन प्रभावी नहीं माना जा सकता है। आवंटन के लिए आवेदन पत्र पर नियम 8(1–क) के अनुसार विवाहित कृषक को पति पत्नी दोनों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत करना होता है। जबकि प्रार्थी द्वारा अकेले ही आवेदन किया गया है पत्रावली संलग्न नकल गिरदावरी संवत 2073–76 के अनुसार आवंटित आराजी पर कब्जा नहीं होना स्पष्ट है जबकि खातेदारी अधिकार प्राप्त करने बाबत नियम 18(4) के अनुसार आवंटी को प्रथम वर्ष के 50 प्रतिशत भूमी पर तथा दूसरे वर्ष में शेष क्षेत्र की भूमी पर भी काश्त करनी होती है जो नही की गई है इसलिए आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटी को कब्जा 1 माह में नही देने पर श्रीमान के समक्ष कब्जा प्राप्ति हेतु आवेदन करना चाहिए था जो वक्त आवंटन सन 2013 से आज तक नहीं किया गया है अतः आवंटी को किया गया उक्त [illegible] निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस [illegible] करके यह निवेदन किया कि उनके फरीकेन को उनके [illegible] के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए है। इस पर अप्रार्थी को बार–बार आवाजें लगवाई गई। बावजूद [illegible] के अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है तथा पत्रावली में गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है।

बहस सरकारी पैरोकार सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया आंवटी ने दिनांक 13.02.2013 को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के तहत आवेदन किया गया था उक्त आवंटन ग्राम बाबागांव पटवार हल्का बसन्त के खसरा नंबर 427 रकबा 1.43 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमी का आवंटन

क्रमशः.............. 2

जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:45:59 IST
Reason: SelfAttested

किया गया था उक्त आराजी पर आवंटी अप्रार्थी का आदिनांक तक कब्जा काश्त नहीं है जो पत्रावली संलग्न नकल गिरदावरी संवत 2073–76 से स्पष्ट है उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के पत्रांक/राजस्व/2021/915 दिनांक 30.9.2021 के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमी वर्ष 2013 में आवंटन हुई थी। आवंटन के पश्चात अप्रार्थी मजदूरी हेतु बाहर चला गया था। वर्तमान में अप्रार्थी गांव बसंत में ही निवासरत है और उक्त भूमी पर स्वयं ने ही कुछ दिनों पूर्व कब्जा कर लिया है। एवं इसी भूमी से संबंधित वाद सं. 30/2014 राजस्व अपील अधिकारी पाली में विचाराधीन है। एवं न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.2021 को प्रार्थी के पक्ष में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया है। पर राजस्व अपील अधिकारी महोदय पाली के प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर अथवा अधोहस्ताक्षरकर्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया है। नियमानुसार आवंटी को आंवटन के एक माह में कब्जा प्राप्त करना होता है अगर कब्जा नहीं दिया गया तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 1 माह के बाद प्रार्थना पत्र कब्जा प्राप्ति हेतु पेश करना था जो नहीं किया गया है इससे स्पष्ट है कि आवंटित आराजी पर आवंटी द्वारा कब्जा काश्त एवं कृषि नहीं कर आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है तथा आवंटी को प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमी पर काश्त करनी होती है तथा शेष भूमी पर द्वितीय वर्ष में करनी होती है लेकिन गिरदावरी अनुसार भूमी पड़त है आवंटी का कब्जा काश्त आदिनांक तक नहीं है अतः आवंटन निरस्त किया जाना विधिसम्मत है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार सुमेरपुर का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है आवंटी अप्रार्थी सुरेश पुत्र जोराराम जाति गाडोलिया लोहार निवासी बसन्त तहसील सुमेरपुर के पक्ष में दिनांक 13.02.2013 को ग्राम बाबागांव पटवार हल्का बसन्त के खसरा नंबर 427 रकबा 1.43 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमी का आंवटन उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा किया गया उसे निरस्त किया जाता है एवं आराजी को पुनः राज्य सरकार के हक में सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:45:59 IST
Reason: SelfAttested

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली